पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 26.12.2024

विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक- 25/26.12.2024 को-

01- थाना कृष्णानगर में पंजीकृत मु0अ0सं0-589/2024 धारा 296/109/122/326/351(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त - 01-मो0 समीम 02-आकाश गौतम गिरफ्तार किया गया।

जोन पश्चिमी

थाना दुबग्गा-सड़क दुर्घटना-

दिनांक 25.12.2024 को वादी श्री लव कुमार सैनी गांव कामां थाना कामा जनपद डींग राजस्थान ने थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दी जिसमें वादी के चाचा घनसिंह पुत्र लालचन्द निवासी ट्रक के चालक हैं।

दिनांक 25-12-2024 को समय करीब शाम 7.00 बजे झाखरबाग अंडरपास के ऊपर किसान पथ पर गाड़ी खड़ी कर के गाड़ी को चेक कर रहे थे तभी पीछे से वाहन कन्टेनर नं0 यूपी UP 16 JT 6070 के चालक द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए वादी के चाचा के ट्रक में टक्कर मार दिया, जिससे वादी के चाचा घनसिंह उम्र करीब 47 वर्ष उपरोक्त की मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा वाहन ट्रक उपरोक्त क्षतिग्रस्त हो गयी, तथ्य अंकित हैं।

इस सूचना पर तत्काल थाना दुबग्गा पर मु0अ0सं0 439/2024 धारा 281/106(1)/324(4) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर कन्टेनर को पुलिस कब्जे में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

सड़क दुर्घटना में कन्टेनर (ट्रक) संख्या UP 16 JT 6070 के ड्राइवर निर्मल, जिनको भी चोट आई थी, को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है।

जोन दक्षिणी

थाना बिजनौर-सड़क दुर्घटना-

दिनांक 26.12.2024 को वादी श्री चन्द्रप्रकाश मौर्या पुत्र रामनयन मौर्या निवासी गोल्डेन सिटी औरंगाबाद जागीर थाना बिजनौर लखनऊ ने थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दी जिसमें आज दिनांक 26.12.2024 को समय करीब 07.00 बजे सुबह वादी का पुत्र कार्तिकय मौर्या उम्र करीब 14 वर्ष साइकिल से अपने स्कूल जा रहा था कि औरंगाबाद अण्डरपास के पास बिजनौर की तरफ से आ रहे एक डंफर ट्रक सं0- UP32LN0249 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाते हुए वादी के पुत्र का साइकिल में पीछे से टक्कर मार दी। जिस कारण वादी का पुत्र कार्तिकय मौर्या उपरोक्त गम्भीर रूप से घायल हो गया। जिसे हम लोगों द्वारा मौके से अपने बच्चे को उठाकर तत्काल इलाज हेतु लोकबंधु अस्पताल ले गये, जहाँ पर डाक्टरों ने वादी के पुत्र कार्तिकय मौर्या उपरोक्त को मृत घोषित कर दिया, ट्रक चालक गोविंद सिंह कुशवाहा को मौके पर लोगों ने पकड़ लिया है, तथ्य अंकित हैं।

इस सूचना पर तत्काल थाना बिजनौर पर मु0अ0सं0 350/2024 अंतर्गत धारा 281/106 बीएनएस बनाम डंफर ट्रक सं0 UP32LN0249 चालक गोविंद सिंह कुशवाहा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट

दिनांक-26-12-2024

थाना गोमतीनगर/जोन पूर्वी

लखनऊ पुलिस की बड़ी कार्रवाई: मुठभेड़ में चार शातिर लुटेरे गिरफ्तार

1.लखनऊ पुलिस ने मुठभेड़ में तीन लुटेरों को गिरफ्तार करते हुए एक बाल अपचारी को संरक्षण में लिया।

2. दो लूट की वारदातों में जेवरात और नकदी लूटे गए।

3. मुठभेड़ में दो लुटेरे घायल, सभी गिरफ्तार।

4. मुख्य आरोपी वीर यादव और अमन सिंह पर कई आपराधिक मामले।

5. पुलिस टीम ने सूझबूझ से बड़ी सफलता हासिल की।

लखनऊ: लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के गोमतीनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान चार शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। इन अपराधियों के पास से अवैध हथियार, लूटे गए नकदी और जेवरात, साथ ही एक चोरी की ब्रेज़ा कार बरामद हुई। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में वीर यादव, अमन सिंह, करन सिंह और संरक्षण में एक बाल अपचारी शामिल हैं।

घटना का खुलासा तब हुआ जब 22 दिसंबर को दो अलग-अलग मामलों में पीड़ितों ने लूट, मारपीट और धमकी की शिकायत दर्ज कराई। पहली घटना में अमर केसरी और उनकी पत्नी को निशाना बनाया गया, जबकि दूसरी घटना में अनिल मिश्रा और उनके मित्र पर हमला किया गया। अभियुक्तों ने दोनों मामलों में जेवरात, नकदी और अन्य सामान लूट लिए थे।

पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 26 दिसंबर को संदिग्ध ब्रेज़ा कार को रोकने का प्रयास किया। अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। इस मुठभेड़ में दो अभियुक्त घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। अन्य अभियुक्तों को भी घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया।

हाल की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

1-दिनांक 22.12.2024 को आगन्तुक श्री अमर केसरी के प्रा0 पत्र जिसमें –वादी के वाहन सं0 UP 32 LJ 0705 को प्रतिवादीगण द्वारा (वाहन ब्रीजा कार) वादी के आगे रोक कर प्रतिवादीगण द्वारा एक राय हो कर वादी व वादी की पत्नी के साथ गाली गलौज करना व वादी के वाहन का शीशा तोडना व वादी व वादी की पत्नी के साथ मार पीट कर वादी व वादी की पत्नी का ब्रशलेट, अंगूठी मंगलसूत्र व चैन व दोनो हाथो के कडे उतरवाकर ले जाने व जान से मारने की धमकी देने विषयक दाखिल किया,